समाचार-प्रकाशनार्थ:-

होम आईसोलेशन मरीजों को मे ड सन कट का वतरण
20 मरीजो को कया मे ड सन कट का वतरण
मरीज के परिजनों को 37 मे डकल कट का वतरण

रतलाम 28 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मे ड सन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मे डकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 28 मई को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 24 मे ड सन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई जिन्हे अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलो वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मे डकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 22 मरीजो को मे डकल कट का वतरण घर पर कया गया। 1 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 2मरीजो को पूर्व से ही मे ड सन कट प्राप्त होना पाया गया तथा 1 मरीज का कान्टेक्ट नम्बर व पता गलत पाया गया। इसके अलावा 37 मे डसीन कट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 213 कनटेंनमेंट झोन बनाये

रतलाम 28 मई। को वड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्र मत मल रहे है उस क्षेत्र को कनटेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 183 कनटेंनमेंट झोन बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 28 मई तक टाटा नगर में 2ए तेजा नगर में 2ए ओझाखालीए प्रताप नगरए प्रताप नगर एक्टेंशनए प्रताप नगर एक्टेंशन में मकान नम्बर 5ए 19 व 30ए ऑ फसर्स कॉलोनीए बालाजी नगरए थावरिया बाजारए वकील कालोनीए ब्राम्हणों का वासए वेदव्यास कालोनी में 4ए गुलमोहर कॉलोनीए देवरादेव नारायण नगरए जवाहर नगरए डोंगरे नगरए मोहन नगरए अलकापुरी अम्बे चौक के पासए आदर्श नगर गली नम्बर 3ए सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2ए दीनदयाल नगर मुख्य मार्गए दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196ए दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पासए शास्त्री नगर में 2ए राजपूत बो र्डंग के पास 2ए महेश नगरए सन सटी कॉलोनीए दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2ए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2ए सलावटो का वासए कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनीए अम्बिका नगरए राजीव नगरए सुयोग परिसरए थावरिया बाजारए वेदव्यास कालोनी अ भलाषा अपार्टमेन्टए खटीक मोहल्लाए दीनदयाल नगर डी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4ए नेमीनाथ नगरए गौशाला रोडए सुतारो का वासए जवाहर नगरए जनता नगरए अलकापुरीए भोयरा बावड़ीए ताहेरपुराए अलकापुरी मुख्य मार्गए कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पासए जवाहर नगरए बाणेश्वरी कॉलोनीए नेमीनाथ नगरए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरू कल्याण नगरए रिद्धी- सद्धी कालोनीए सद्धांचलम एक्सटेंशनए महेश नगरए इन्द्रा नगरए सैनिक कालोनीए टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8ए सलावटो का वास अन्न क्षेत्रए करमदी रोडए सुदामा परिसरए अजंता पेलेसए राजस्व कालोनीए खटीक मोहल्लाए हाथीखानाए खटीक मोहल्लाए गौशाला रोडए जाटो का वासए नौलाईपुराए टाटा नगर गली नम्बर 7ए अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1ए नूरी नगर उंकाला रोडए सूरजमल जैन नगरए लक्ष्मीनगर ए कालोनीए एम.बी. नगरए लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1ए ग्लोबस टाउन शपए अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व अलकापुरी डी 27 व बी 279ए हिम्मत वहार कालोनीए अशोक नगरए करण नगरए जूनी

कलालसेरीए दीनदयाल नगर एफ सेक्टरए वेदव्यास कालोनीए ताहेरपुराए श्रीमालीवासए जवाहर नगर व मोहन नगर में 2 कन्टेनमेंटए हाथीखानाए खान बावड़ीए गुलमोहर कालोनीए रामदेवजी की घाटीए दीनदयाल नगर सी सेक्टरए करण नगरए जूनी कलालसेरीए कल्याण नगरए गांधी नगरए डोंगरेए इन्द्रा नगरए दीनदयाल नगर डीए ई व एफ सेक्टरए हिम्मत नगर में 2ए महेश नगरए जवाहर नगरए अम्बेडकर नगरए कोमल नगरए मत्र निवास रोडए टीआईटी रोड पर 2ए गुलमोहर कालोनीए महू रोड रायल कालेज के पास पटेल हाउसए आम लया भेरूए रत्नपुरीए न्यू ग्लोबस सटीए पीएनटी कालोनीए वीआईपी नगरए भोई मोहल्लाए जावरा रोड सीतला माता मंदिरए शास्त्री नगर रतलाम हास्पीटल के पासए लक्ष्मी नगरए जैन कालोनी नागरवासए महू रोड अ वष्कार अपार्टमेन्टए पीएनटी कालोनीए काटजू नगरए सद्धांचलमए प्रताप नगरए धभाई जी का वासए दीनदयाल नगर ए सेक्टरए कोठारीवासए दो बत्ती पु लस लाईनए जावरा रोडए जावरा रोड सीतला माता मंदिरए धीरजशाह नगर गली नम्बर 4ए गांधी नगरए सन सटीए तिरूपति नगरए देवरा देव नारायण नगरए रेहमत नगरए प्रताप नगरए दीनदयाल नगरए राम मंदिर के पासए मराठो का वासए मोचीपुराए हाट रोडए राजस्व कालोनीए मड टाउन कालोनीए सुरजमल जैन नगरए सुदामा नगर गली नम्बर 4ए रामगढ़ए दीनदयाल नगर बी सेक्टरए जवाहर नगरए राजीव नगरए सज्जन वहार कालोनीए मत्र निवास रोडए एकता नगरए काजीपुराए भगतपुरी मुख्य मार्गए ऋषभदेव नगरए रेलवे कालोनीए कस्तुरबा नगरए जवाहर नगरए पीएनटी कालोनीए इन्द्रा नगरए डोंगरे नगरए नागरवासए आबकारी रोडए नजर बाग बैंक कालोनीए चांदनी चौकए शवधाम परिसर रत्नेश्वर रोडए सम्यक ग्लोबस सटीए जावरा रोडए रेहमत नगर में कनटेन्मेंट झोन बनाये गये है इस तरह 18 दिवस में 213 कनटेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-ना लयों की सफाई का कार्य

8 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरांत कया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 28 मई। वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-ना लयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा चौमुखी पुल वाला नालाए त्रिपो लया गेट का नालाए गोमदड़े की पुल वाला नालाए मुखर्जी नगर नालाए गांधी नगर नालाए त्रिवेणी कुण्ड के आसपासए सुभाष नगर नाला व श्रीमालीवास वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में कया गया व सफाई उपरान्त नालों व ना लयों में केसो लक व ब्ली चंग कीटनाशक दवा का छिड़काव कया गया।

खाद्यान्न पर्ची हेतु झोन कार्यालयों पर लये जा रहे हैं आवेदन
पात्रता पर्ची हेतु 4427 नागरिकों ने जमा कराये आवेदन
पात्र परिवारो के सत्यापन हेतु राशन- मत्र पोर्टल पर कार्य जारी

रतलाम 28 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु 14 से 28 मई तक नागरिकों ने निगम के झोन क्रमांक 1 पर 924ए झोन क्रमांक 2 पर 993ए झोन क्रमांक 3 पर 1142 व झोन क्रमांक 4 पर 1312 इस तरह कुल 4427 आवेदन जमा कराये। प्राप्त आवेदनों के पात्र परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही का कार्य राशन- मत्र पोर्टल पर जारी है।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 28 मई। को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टे्रक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टे्रक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निय मत रूप से पानी में 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है ता क को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
861 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 28 मई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 28 मई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 861 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 28 मई को बाजना बस स्टैण्डए दीनदयाल नगरए हरदेव लाला की पीपलीए शहर सराय आदि क्षेत्रो से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी

मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

‘ ‘ कल कोरोना-4ष्ष अ भयान के तहत 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम 28 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए ष्ष कल कोरोना-4ष्ष अ भयान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है जिसमें नगर निगम अ धकारी/कर्मचारीए मे डकल ऑ फसरए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा कल कोरोना 4 के तहत सघन सर्वे हेतु स्वास्थ्य वभाग के साथ महिला एवं बाल वकासए नगर निगमए राजस्व व शक्षा वभाग के अ धकारी एवं कर्मचारियों के दलो का गठन कया गया है जो बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खॉंसीए सांस लेने में

तकलीफए गले में खराशए कमजोरीए चक्करए दस्तए गंध अथवा स्वाद कम होने वाले मरीजों का घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।

ष्ष कल कोरोना-4ष्ष अ भयान के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34ए 35ए 36 व 31 हेतु टीआईटी रोड डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 30ए 31 व 32 हेतु जावरा रोड प्राथ मक स्कूल डी मार्ट रोडए वार्ड क्रमांक 27ए 28 व 29 हेतु दिलीप नगर डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 20ए 21ए 22ए 23ए 24ए 25ए 44 व 45 हेतु मोती नगर प्राथ मक स्कूलए वार्ड क्रमांक 26ए 37ए 38ए 39ए 40ए 41ए 42 व 43 हेतु हा कम वाड़ा डस्पेंसरीए वार्ड क्रमांक 15ए 16ए 17ए 18ए 19ए 46ए 47ए 48 व 49 हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 1ए 2ए 3ए 4ए 5ए 6ए 7 व 8 अर्बन प्राथ मक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक 9ए 10ए 11ए 12ए 13 व 14 हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है। उक्त केन्द्रो पर नियुक्त नगर निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अ धकारी नियुक्त कया है। इसके अलावा को वड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मे डकल ऑ फसरए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए स्टॉफ नर्सए एएनएमए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो0नं0 9685330094 व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो0 नं0 7999606919 को नोडल अ धकारी बनाया गया है।

को वड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दी/खांसी/प्स्प् के लक्षण वाले रो गयों की प्राथ मक जांच एवं परामर्श दिया जायेगाए गले में खराश/सांस लेने में कठिनाई/बदन दर्द/ सर दर्द के साथ बुखार यझ38°ब्ध्100ण्4°थ्द्धआदि लक्षण युक्त रो गयों का लक्षण आधारित उपचार व संभा वत को वड-19 रो गयों का निकटस्थ फीवर क्लीनिकपर रेफरल का कार्य कया जायेगा।

कसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खॉसीए सांस लेने में तकलीफए गले में खराशए कमजोरीए चक्करए दस्तए गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी को वड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम 28 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टे्क्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कोंए ग लयोंए भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। 28 मई को फायर लॉरी व टे्क्टर ट्रॉली से मे डकल कालेजए जवाहर नगर मुक्तिधामए भक्तन की बावड़ी मुक्तिधामए त्रिवेणी मुक्तिधामए सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेजए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रए कलेक्टोरेटए ई-दक्ष कार्यालयए नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया गया।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें

अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मं े वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 28 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण

करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/28ण05ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.